न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 09/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तुलछाराम पुत्र रामदीन जाति माली निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर।		1 जगराम पुत्र मगनीराम जाति माली निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर। 2 तहसीलदार जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबुलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दिनेश हेडा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 22.12.2023

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल के आदेश दिनांक 19.12.2022 व आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/40/दिनांक 03.01.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 15.02.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री दिनेश हेडा, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.22 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 की फोटोप्रति, ग्राम रोल की जमाबंदी सम्वत् 2073–76 की फोटोप्रति, ग्राम जायल नक्शा की फोटोप्रति, ग्राम जायल के नक्शा पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी नहीं हुई तथा दिनांक 06.02.2023 को रेस्पो. संख्या 1 ने कहा कि अब मैने आपकी भूमि को मेरे खेत के नक्शा में शामिल कर लिया गया है तब अपीलांट अपने खेत का नक्शा निकलवाया व देखा तो गलत नक्शा की जानकारी हुई फिर जैर अपील के आदेश हेतु दिनांक 07.02.2023 को आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस आदेश की नकल दिनांक 09.02.2023 प्राप्त होने पर आदेश की सर्व प्रथम जानकारी हुई फिर अपीलांट दिनांक 10.02.2023 को नागौर आकर अपील तैयार करवाई फिर दिनांक 11.02.2023 व दिनांक 12.02.2023 को राजकीय अवकाश होने से जानकारी के अन्दर मयाद अपील पेश की। जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तो व विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1797/181 का जो पूर्व में नक्शा बना हुआ था और तरमीम हो रखी थी वो पुराने कब्जे के अनुसार सही हो रखी थी। लेकिन अपीलांट के खातेदारी की भूमि को हडपने की नीयत से तरमीम होने के बाद रेस्पो. संख्या 1 ने कुछ हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था जिस अवैध कब्जा को लेकर अपीलांट विधिक कार्यवाही कर रहा था लेकिन तहसीलदार अपीलांट को बिना सूचित किये ही एक पक्षीय आदेश पारित कर अपीलांट के खेत के राजस्व रेकर्ड नक्शा में परिवर्तन करने का आदेश पारित करने में कानूनी रूप से बडी भारी भूल की गई है जो निरस्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)– कानूनी रूप से अगर किसी खातेदार के खिलाफ किसी तरह का आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश पारित करने से पूर्व खातेदार को सूचित करना व सुनवायी का अवसर देना आवश्यक व न्यायोचित होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले व बाद में अपीलांट को किसी तरह से सूचित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1797/181 का पूर्व में जो नक्शा बना हुआ था वो मौके पर कब्जा के माफिक सही बना हुआ था और मौके पर कब्जा की जांच कर बाद जांच नक्शा बनाया गया था। बाद में अगर कोई जबरन लाठी के बल पर अवैध अतिक्रमण कर लेता है तो उस अवैध कब्जा के माफिक नक्शा में परिर्वतन करने का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी तहसीलदार ने खेत खसरा नम्बर 1797/181 के खातेदार को बिना सुने ही एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर गलत रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर जैर अपील आदेश पारित किया जो आदेश कानूनी रूप से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट के खातेदारी के खेत पर रेस्पो. संख्या 1 का जो अवैध अतिक्रमण वाली अपीलांट की भूमि को जैर अपील के आदेश की आड मे रेस्पो संख्या 1 के खेत में शामिल कर गलत नक्शा बना दिया गया और अपीलांट के खेत के नक्शा में खसरा नम्बर 181 की सरकारी भूमि को शामिल कर गलत नक्शा बना दिया गया और खसरा नम्बर 181 की जो भूमि अपीलांट के खेत मे शामिल की जो मात्र रेस्पों. संख्या 1 के अवैध अतिक्रमण को कायम रखने के उद्देश्य से की गई है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त कर नक्शा में पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

{3}–रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस के दौरान बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों पर जब मौके पर जाकर जो फर्द/जांच राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी उस समय भी अपीलांट का पुत्र स्वयं मौके पर मौजूद है। जिससे ज्ञात होता है की कार्यवाही का ज्ञान अपीलांट को पूर्व में था। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने हक व कब्जे काश्त में आयी कृषि भूमि पर पत्थर की चारदीवारी काफी वर्षों पूर्व में बना ली थी। जो कि आज दिन भी पूर्व के समान पत्थर की दीवार मौजूद है और तहसीलदार जायल द्वारा मौके की स्थिति बाबत् जो फर्द राजस्व कर्मचारियों द्वारा पक्षकारानों के रूबरू तैयार करवायी गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जो पारित किया है वह विधिवत व सही पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के अनुसार व मौके की स्थिति अनुसार नक्शा में दुरूस्त करने का आदेश पारित किया है जो कानूनी रूप से सही है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल के आदेश दिनांक 19.12.2022 व आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/40/दिनांक 03.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नक्शा में संशोधन करने का क्षेत्राधिकार लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) को प्राप्त है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जायल द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2022 व आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/40/दिनांक 03.01.2023 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत् गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर